न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 159 / 2022

1. पंकजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति दुगड निवासी गोगागेट बीकानेर हाल चक 25 बीएलडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–09.02.24

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी पंकजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति दुगड निवासी गोगागेट बीकानेर हाल चक 25 बीएलडी मु0नं0 157 / 63 में कुल 18.11 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि विशेष आवंटन श्रेणी में आवंटित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सोहनलाल की जगह सहवन से मोहनलाल दर्ज कर दिया गया जिसें दुरूस्त करने के आदेश का निवेदन किया गया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसील खाजूवाला रिपोर्ट हेतु लिख गया लेकिन बहुत अधिक समय के बाद भी रिपोर्ट अप्राप्त है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी रिपोर्ट पूर्व में करवाई गई है जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की एवं आवंटन आदेश व प्रथम नामान्तरण छायाप्रति व गिरदावरी प्रस्तुत की जो शमिल मिसल है। आवंटन आदेश, नामान्तरण में प्रार्थी के पिता का नाम सोहनलाल अंकित है जो कि प्रार्थी अनुसार सही नाम है। प्रार्थी पिता का नाम मोहनलाल की जगह सोहनलाल दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य / सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि चक 25 बीएलडी ए मु0नं0 157 / 63 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल की जगह सोहनलाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 25 बीएलडी ए मु0नं0 157 / 63 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल की जगह सोहनलाल नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)